न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 03/15 तारीख दायरा:–27.01.2015

1. सुमन बेवा गोपाल
2. रचना पुत्री गोपाल
3. बंटी पुत्री गोपाल
4. अरुणा पुत्री गोपाल

जातियान जाटव निवासी करबा नगर, तहसील नगर जिला डीग।

––––वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री परशादी
2. डालचंद पुत्र श्री परशादी
3. विजय पुत्री परशादी

(1–3) जाति जाटव निवासी जाटव मौहल्ला नगर, तहसील नगर, जिला डीग

4. प्रेमवती पत्नी चन्द्रपाल पुत्री परशादी जाति जाटव निवासी अन्यौर तह0 जिला मथुरा(यू0पी0)
5. विधा पत्नी रामखिलाडी पुत्री परशादी जाति जाटव निवासी मंहता पट्टी जाटव मौहल्ला भुसावर, तह0 वैर, भरतपुर
6. ओमप्रकाश
7. भगवत
8. देशराज

(6–8) पुत्रान मनोहरी

9. मेघराज
10. हंसराज

(8–10) पिस. श्यामलाल उर्फ सोहनलाल

11. जगदीश पुत्र ाोभाराम
12. किशनलाल पुत्र मूलचंद
13. महेश
14. रमेश

(13–14) पिस. रामजीलाल

15. दीपचंद
16. रोशन

(15–16) पिस. कलुआ

17. गंगाधर पुत्र रामलाल
18. मदनलाल पुत्र मनफूल
19. फूलसिंह पुत्र मुंशी
20. मनसिंह पुत्र शिम्भू
21. दिलीप पुत्र किशोर कुमार
22. माया देवी पत्नी धर्मेन्द्र
23. राजवाला पत्नी रवीन्द्र कुमार
24. खेल चंद पुत्र मुंशी

जाति जाटव निवासी जाटव मौहल्ला नगर, तहसील नगर , जिला डीग

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

25. शिवचरन पुत्र भुल्लन जाति कोली निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

26. तहसीलदार साहब तहसील नगर प्रतिनिधि राजस्थान सरकार।

------प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री श्याम बाबू सेठी वादीगण।
2. अधिवक्ता श्री संदिप मदान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ।
3. अधिवक्ता श्री दीनदयाल गर्ग प्रतिवादी संख्या 13, 14।
4. अधिवक्ता श्री मेघसिहं भगौर प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 20 ।
5. अधिवक्ता श्री ओमहरी प्रतिवादी संख्या 25 ।

दिनांकः–04.12.2024

निर्णय

वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा मे एक वाद बाबत विभाजन एंव अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 1522/0.44, 1517/0.68 बाके कस्बा नगर तहसील नगर मे स्थित है। जिसका वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी मे अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के कुर्रे बनाये जाकर विभाजन कर पृथक–पृथक खाता एंव पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15, 16 ने हाजिर अदालत आकर अपना इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एंव 17 लगायत 20 ने अपना जवाब दावा प्ररतुत नही किया। प्रतिवादी सख्यां 06 से 12 तथा 15, 16 21 से 24, 26 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 25 ने हाजिर अदालत आकर अपना जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 1517/0.68 के 1/8 हिस्सा मे से मुझ प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 2 डालचन्द पुत्र परसादी से 468 वर्गफुट रकवा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.04.2005 को खरीद किया था व उसी दिन कब्जां प्राप्त कर लिया था। मै प्रतिवादी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज हूँ। विवादित आराजी पक्षकारान के मध्य मनवट के आधार बटी हुई हैं, व उसी अनूरूप सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है, लेकिन अब वादीगण बेईमानीपूर्वक दुबारा बटवारा कराना चाहते है। जो कि खिलाफ कानून है। अतः दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वहस उपरान्त प्रकरण मे दिनांक 20.01.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी जाकर वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार अच्छी मे से अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र न्यायालय मे पेश करने बाबत आदेश प्रदान किये गए।

तहसीलदार नगर द्वारा वउनवानी प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव के संबंध मे रिपोर्ट अपने पत्र कमांक/भू.अ./24/2643 दिनांक 07.10.2024 को न्यायालय हाजा को इस आशय की प्रेषित की गई है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम कस्बा नगर के आ.ख.नं. 1517/0.68, 1522/0.44 की मौके पर जांच की गई। मौके पर उक्त दोनों खसरा नम्बरान में सघन आबादी बसी हुई है, जिसमे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारान के अलावा अन्य व्यक्तियों के भी मकानात बने हुए है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान का नगरपालिका नगर द्वारा ले आउट प्लान मे ले रखा है। उक्त खसरा नम्बरान पर न्यायालय हाजा का स्थगन प्रभावी होने के कारण नामान्तकरण नगरपालिका के नाम दर्ज नही हो पाया है।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(दुर्गा प्रसाद मीणा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या – [illegible] तारीख फैसला – [illegible]

1 [illegible] सिंह [illegible]
2 [illegible] पुत्री [illegible]
3 [illegible] पुत्री [illegible]
4 [illegible] पुत्री [illegible]
[illegible] तहसील नगर जिला डीग।

——[illegible]गण

बनाम

1 [illegible] पुत्र श्री [illegible] आदि जाति [illegible] निवासी [illegible] नगर
2 [illegible] पुत्र श्री [illegible] तहसील नगर जिला डीग।
3 [illegible] पुत्री [illegible]
4 [illegible] पत्नी [illegible] पुत्री [illegible] आदि जाति [illegible] निवासी [illegible] तह0 जिला मथुरा(यू0पी0)
5 [illegible] पत्नी [illegible] पुत्री [illegible] आदि जाति [illegible] निवासी [illegible] जाति [illegible]
तह0 जि0 भरतपुर
6 [illegible]
7 [illegible] पुत्रान मनोहरी
8 [illegible]
9 [illegible] पिसर [illegible] उर्फ [illegible]
10 [illegible]
11 [illegible] पुत्र [illegible]
12 [illegible] पुत्र [illegible]
13 [illegible] पिसर [illegible]
14 [illegible]
15 [illegible] पिसर [illegible]
16 [illegible]
17 [illegible] पुत्र [illegible]
18 [illegible] पुत्र [illegible]
19 [illegible]सिंह पुत्र मुरली
20 [illegible]सिंह पुत्र [illegible]
21 दिलीप पुत्र [illegible] कुमार
22 [illegible] देवी पत्नी [illegible]
23 [illegible] पत्नी [illegible] कुमार
24 [illegible] चंद पुत्र मुरली
आदि जाति [illegible] निवासी [illegible] नगर तहसील नगर जिला डीग
25 [illegible] पुत्र [illegible] आदि कोली निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] राज0

26. तहसीलदार साहब तहसील नगर प्रतिनिधि राजस्थान सरकार।

------प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी श्री श्याम बाबू सेठी अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री संदीप मदान, श्री दीनदयाल गर्ग, श्री मेघसिंह भगौर, श्री ओमहरी अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण तहसीलदार नगर की रिपोर्ट के अनुसार आ. ख.नं. 1517/0.68, 1522/0.44 बाके कस्बा नगर तहसील नगर पर पूर्ण रूप से आबादी बसी होने के कारण व नगरपालिका नगर द्वारा ले आउट प्लान मे होने के कारण विभाजन किया जाना सम्भव नही है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

डिक्री बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.12.2024 को जारी की गयी।

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)